रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 1991/कार्तिक 24, 1913
No. 677] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 1991/KARTIKA 24, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1991

का.आ. 783 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, "विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिकरण" गठित करती है, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा. भगवती प्रसाद सराफ होंगे।

[फा.सं. 11/38/91–एन.ई.-I]

विनय शंकर, संयुक्त सचिव (उत्तर-पूर्व)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 1991

S.O. 783(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do, hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Justice Dr. Bhagawati Prasad Saraf, Judge of the Guwahati High Court.

[F. No 11|38|91-NE. I]

VINAY SHANKAR, Jt. Secy. (NE)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1991